कार्यालय जिलाधिकारी बुलन्दशहर।

अति अल्पकालिक निविदा–सूचना

प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ कार्यालय से प्राप्त पत्र सं0–3271/एक–10–2018–12(34)/03 टी0सी0–1 दिनांक–19.11.2018 के कम में वर्ष 2018–19 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत गृहविहीन/निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु लगभग 10,000 कम्बलों (संख्या घट–बढ़ सकती है) की आपूर्ति हेतु शा0सं0–1045/1–10–2016–12(34)/03 टी0सी0–1, राजस्व अनुभाग–10 दिनांक–28 सितम्बर, 2016 में दिये गये निर्देशानुसार उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित पोषित एवं प्रमाणित संस्थाओं, श्री गाँधी आश्रम, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) आदि से दिनांक–03.12.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे से 5.00 बजे तक तथा दिनांक–04.12.2018 को प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक संग्रह अनुभाग, कमरा नं0–5, कलेक्ट्रेट बुलन्दशहर के कार्यालय कक्ष में रखी सीलबन्द पेटिका में निर्धारित प्रपत्र पर आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म एवं शर्तें संग्रह कार्यालय, कलेक्ट्रेट कक्ष सं0–05 में दिनांक–26.11.2018 से दिनांक–03.12.2018 को प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक (रविवार अवकाश को छोड़कर) प्राप्त की जा सकती हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक–04.12.2018 को ही अपरान्ह 4.00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बुलन्दशहर के कार्यालय कक्ष सं0–1 में कय समिति के समक्ष खोली जायेंगी। नियम व शर्तों की जानकारी वेबसाइट www.bulandshahr.nic.in पर भी उपलब्ध है।

(अनुज कुमार झा)
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी,बुलन्दशहर।

पत्रांक–7482(1)/ए0सी0आर0ए0–दै0आ0 दिनांक–22 नवम्बर, 2018

प्रतिलिपिः–

1. विज्ञापन व्यवस्थापक, अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त निविदा सूचना को दिनांक–26.11.2018 के अंक में कम से कम स्थान में शासकीय दर पर प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें। भुगतान ई–पेमेण्ट से किया जायेगा।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त अति अल्पकालिक निविदा सूचना को जनपद की वेबसाइट पर डाउनलोड करने का कष्ट करें।
3. जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दाशहर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
4. नाजिर सदर को बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. समस्त तहसीलदार, जनपद बुलन्दशहर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
6. जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, बुलन्दशहर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

जिलाधिकारी
बुलन्दशहर।

22/11/18

कार्यालय　　　　　　　　　　जिलाधिकारी　　　　　　　　　　बुलन्दशहर।

अति अल्पकालिक निविदा–सूचना व शर्तें

प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ कार्यालय से प्राप्त पत्र सं0–3271/एक–10–2018–12(34)/03 टी0सी0–1 दिनांक–19.11.2018 के कम में वर्ष 2018–19 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत गृहविहीन/निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुॅचाने हेतु लगभग 10,000 कम्बलों की आपूर्ति (संख्या घट–बढ़ सकती है) हेतु अति अल्पकालिक निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। कय किये जाने वले कम्बलों की मानक व शर्ते निम्न प्रकार होगीः–

1. कय किये जाने वाले कम्बलों की पूर्व निर्धारित दर रू0 500 से अधिक न हो तथा कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 से0मी0 चौड़ाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए। इन कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग न होना चाहिए।
2. आपूर्ति किये जाने वाले कम्बलों पर 50 से0मी0 X 30 से0मी0 के स्टेनशिल से सम्बन्धित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण तथा कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो बिकी योग्य नहीं है, इस आशय का स्टेनशिल काटकर पक्के प्रिन्टिड किया जाना अनिवार्य होगा।
3. उक्त इंगित गुणवत्ता का कम्बल जनपद मुख्यालय पर पहुॅचाने का मार्ग व्यय तथा मुख्यालय जनपद की सभी 7 तहसीलों के मुख्यालयों तक पहॅुचाने का मार्ग व्यय सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा ही किया जायेगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा।
4. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्तित किये गये कम्बल का अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) द्वारा एक मानक सैम्पल मुख्यालय पर रखा जायेगा एवं एक–एक कम्बल समस्त उप जिलाधिकारी कार्यालय पर रखा जायेगा। जिसका वितरण कदापि नहीं किया जायेगा। ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। आपूर्ति किये जाने वाले कम्बलों में से एक कम्बल शासन को भी सील बन्द कर प्रेषित किया जायेगा, जिसकी गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपूर्ति संस्था का होगा।
5. आपूर्ति कर्ता संस्था निर्धारित समय यानि निविदा स्वीकृति के दिनांक से 3 दिवस के अन्दर कम्बलों की आपूर्ति करनी होगी। यदि संस्था आपूर्ति पूर्ण नही कर पाती है तो उसका आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। मानक के अनुसार कम्बलों की आपूर्ति करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा।
6. उपरोक्त कय किये जाने वाले कम्बलों की संख्या कम/अधिक करने का अधिकार समिति के जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष में निहित होगा।
7. निविदा फार्म एवं शर्तें संग्रह कार्यालय, कलेक्ट्रेट कक्ष सं0–05 में दिनांक–26.11.2018से दिनांक–03.12.2018 को प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक (रविवार अवकाश को छोड़कर) प्राप्त की जा सकती हैं। निर्धारित प्रारूप पर निविदायें संग्रह अनुभाग कलेक्ट्रेट बुलन्दशहर के कमरा नं0–05 में रखी पेटिका में दिनांक–03.12.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे 5.00 बजे तक तथा दिनांक–04.12.2018 को प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक डाली जा सकेगी। प्राप्त निविदायें दिनांक–04.12.2018 को ही अपरान्ह 4.00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बुलन्दशहर के कार्यालय कक्ष सं0–1 में कय समिति के समक्ष खोली जायेंगी। सभी निविदादाताओं को निर्धारित तिथियों के समय पर उपस्थित रहना अनिवार्य है। इसके लिये पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
8. निविदा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरी से अथवा सी0आर0ए0 कार्यालय कमरा नं0–5 कलेक्ट्रेट बुलन्दशहर से ली जा सकती है।
9. आपूर्ति किये गये कम्बल की गुणवत्ता/मानक में शासनादेशानुसार किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो संस्था को भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा। इसलिये संस्था का उत्तरदायित्व होगा कि कम्बल शासन द्वारा निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च गुणवत्ता का ही आपूर्ति की जाये।

10. निविदा में किसी प्रकार की कटिंग व ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी।
11. निविदा शुल्क अंकन 500/–रूपये डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा ही स्वीकार्य की जायेगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट मूलरूप में निविदा के साथ के संलग्न करना होगा।
12. जिलाधिकारी व कय समिति को बिना किसी कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
13. ऊपर प्रदर्शित कम्बलों की संख्या अनुमानित है विभागीय आवश्यकता तथा बजट के उपलब्धता के अनुसार संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
14. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी बुलन्दशहर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
15. कम्बल आपूर्ति के सम्बन्ध में आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–08/2016/548/18–2–2016–12(एस0पी0)/2010 दिनांक–12 अगस्त 2016 में दिये गये निर्देश का अनुपालन करना होगा।
16. कम्बलों को कय करने के लिये अन्तिम निर्णय जिलाधिकारी व अध्यक्ष कम्बल कय समिति का मान्य होगा।
17. कय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता (शासनादेश में अंकित मानक का) की टैस्टिंग रिपोर्ट मान्य संस्था से कराकर निविदा प्रपत्र के साथ/निविदा खुलने के समय प्रस्तुत करनी होगी।
18. कम्बलों का भुगतान मानक के अनुरूप व पूर्ण मात्रा में कम्बलों की तहसील स्तर पर आपूर्ति सुनिश्चित होने के पश्चात किया जायेगा। फर्म को सभी आवश्यक टैक्स देने होंगे।
19. उपरोक्त सूचना जनपद की वेबसाइट www.bulandshahr.nic.in पर उपलब्ध है।
20. लिफाफे के बाहर मोटे अक्षरों में "कम्बल हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए।
21. संस्थाओं को कम्बल का सैम्पिल जिस पर फर्म का पूर्ण विवरण, मानक आदि का पूर्ण विवरण हो दैवीय आपदा लिपिक संग्रह कार्यालय कलेक्ट्रेट बुलन्दशहर कमरा नं0–5 में प्राप्त कराना होगा, जिसको निविदा खोले जाने के समय रखा जायेगा।
22. निविदा में कम्बल का मूल्य जी0एस0टी0 सहित अंकित किया जायेगा। पृथक से कोई अन्य का देय नहीं होगा। कोई सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
23. निविदादाता को जमानत राशि के रूप में जिलाधिकारी बुलन्दशहर के पक्ष में अंकन रूपये 35,000/– का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

(अनुज कुमार झा)
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी,बुलन्दशहर।

पत्रांक– 7181(ए)/ए0सी0आर0ए0–दै0आ0 दिनांक–22 नवम्बर, 2018

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन0आई0सी0 बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त निविदा सूचना को जनपद की वेबसाईट पर डाउनलोड करने का कष्ट करें।
3. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट बुलन्दशहर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
4. समस्त तहसीलदार जनपद बुलन्दशहर को तहसील नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

जिलाधिकारी
बुलन्दशहर।

22/11/18